

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण संख्या 215/2017 वाद



राजेशनाथ

// बनाम //

पारसनाथ व अन्य

दावा धारा 53, 88 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 27.02.2018

पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी ने प्रकरण में नोट प्रेस किया है। अतः प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा